

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 जनवरी 2016—पौष 12, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ-बी-1-44-2015-2-पांच, (03).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश बीयर तथा वाइन नियमों के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-10-2011-2-पांच (08), दिनांक 29 मार्च, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं द्वारा राज्य में फ्रेंचाईसी पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उपभोग हेतु विनिर्मित विदेशी मदिरा (बीयर) पर बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस रुपये 13.00 प्रति बल्क लीटर विहित करती है.

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. बी-1-44-2015-2-पांच, (03).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-44-2015-2-पांच, (03), दिनांक 2 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd January 2016

No. F-B-1-44-2015-2-V (03).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and Rule 14 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-10-2011-2-V(08), dated 29th March, 2011, the State Government, hereby, prescribes the Bottling fee at the rate of Rs. 13.00 per bulk litre on Foreign Liquor (beer) manufactured for consumption in the State of Madhya Pradesh by manufacturers of National status under franchisee or any other system.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ-बी-1-44-2015-2-पांच, (04).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (14) बी-1-1-05-2-पांच, दिनांक 20 अप्रैल, 2005 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट) के आयात पर, आयात फीस रुपये 40.00 प्रति पूफ लीटर विहित करती है।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. बी-1-44-2015-2-पांच, (04).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-44-2015-2-पांच, (04), दिनांक 2 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd January 2016

No. F-B-1-44-2015-2-V (04).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (13) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in partial supersession of this department's Notification No. (14) B-1-1-05-2-V, dated 20th April, 2005, the State Government, hereby, prescribes the Import fee on the import of Foreign Liquor (spirit) at the rate of Rupees 40/- per proof litre.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ-बी-1-44-2015-2-पांच, (05).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (33) बी-1-89-05-2-पांच, दिनांक 6 जुलाई, 2006 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं द्वारा राज्य में फ्रेंचाईसी पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उपभोग हेतु विनिर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट) पर बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस रुपये 27.00 प्रति प्रूफ लीटर विहित करती है।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. बी-1-44-2015-2-पांच, (05).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-44-2015-2-पांच, (05), दिनांक 2 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 2nd January 2016

No. F-B-1-44-2015-2-V (05).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (13) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in partial supersession of this department's Notification No. (33) B-1-89-05-2-V, dated 6th July, 2006, the State Government, hereby, prescribes, Bottling fee Rs. 27.00 per proof litre on Foreign Liquor (spirit) manufactured for consumption in the State of Madhya Pradesh by manufacturers of National status under franchisee or any other system.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ-बी-1-44-2015-2-पांच, (06).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (13) एवं मध्यप्रदेश बीयर तथा वाईन नियमों के नियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-1-10-2011-2-पांच (09), दिनांक 29 मार्च, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, माल्ट लिकर जिसमें बीयर, एल, पोर्टर, स्टाउट एवं साइडर सम्मिलित हैं, के आयात पर रुपये 25.00 प्रति बल्क लीटर आयात फीस विहित करती है।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. बी-1-44-2015-2-पांच, (06).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-44-2015-2-पांच, (06), दिनांक 2 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd January 2016

No. F-B-1-44-2015-2-V (06).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (13) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and Rule 17 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-10-2011-2-V (09), dated 29th March, 2011, issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the Import fee on the Import of Malt Liquor Including Beer, Ale, Porter, Stout and Cider, at the rate of Rupees 25/- per bulk litre.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ-बी-1-44-2015-2-पांच, (07).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) और मध्यप्रदेश बीयर तथा वाईन नियम के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-1-28-2014-2-पांच (3), दिनांक 3 जनवरी, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के प्रयोजन के लिए, उनके स्वयं के ब्रांड की विदेशी मदिरा (बीयर) के विनिर्माण पर बोतल भराई फीस रुपए 2.50 प्रति बल्क लीटर विहित करती है।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. बी-1-44-2015-2-पांच, (07).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-44-2015-2-पांच, (07), दिनांक 2 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd January 2016

No. F-B-1-44-2015-2-V (07).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and Rule 14 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules and

in supersession of this department's Notification No. F-B-1-28-2014-2-V, (03), dated 3rd January, 2015, the State Government, hereby, prescribes the Bottling fee of Rs. 2.50 per Bulk litre on Foreign Liquor (Beer) manufactured by local Foreign Liquor (Beer) manufacturers of their own brands for purpose to sale in the State of Madhya Pradesh.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ-बी-1-44-2015-2-पांच, (08).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (13), द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-1-29-2014-2-पांच (2), दिनांक 3 जनवरी, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के प्रयोजन के लिए, उनके स्वयं के ब्रांड की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट) के विनिर्माण पर बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस रुपए 3.00 प्रति प्रूफ लीटर विहित करती है।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. बी-1-44-2015-2-पांच, (08).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-44-2015-2-पांच, (08), दिनांक 2 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd January 2016

No. F-B-1-44-2015-2-V, (08).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (13) of Rules 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-29-2014-2-V,(02), dated 3rd January, 2015, the State Government, hereby, prescribes the bottling fee of Rs. 3.00 per proof litre on Foreign Liquor (Spirit) manufactured by local Foreign Liquor (Spirit) manufacturers of their own brands for purpose to sale in the State of Madhya Pradesh.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.